

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
03.10.2025	वाकुलाय पक्षकारान उपस्थित। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित कैंपेन मिडिएशन फॉर द नेशन के तहत पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मध्यस्थता (सुलह) के तत्व विद्यमान हैं और मध्यस्थता के माध्यम से पत्रावली का निस्तारण किया जाना संभव हैं। पक्षकारान के अधिवक्ता मिडिएशन के लिए सहमत हैं। इसलिए पत्रावली मिडिएशन हेतु प्रेषित की जाती है। अधिवक्ता श्री करनाराम चौधरी को मिडिएटर नियुक्त किया जाता है। उभय पक्ष को मध्यस्थता कार्यवाही हेतु मध्यस्थता केन्द्र में दिनांक 08.10.2025 प्रातः 10:00 बजे उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया। रैफरल फॉर्म तैयार कर वादपत्र/ <u>आवेदन/अपील</u> /याचिका/प्रकरण के प्रथम पृष्ठ की फोटोप्रति के साथ मामला इस निर्देश के साथ जज इंचार्ज को प्रेषित किया जावे कि आवश्यकता होने पर पत्रावली तलब की जा सकती है। बाद मिडिएशन नतीजे के साथ पत्रावली दिनांक 15.10.2025 को पुनः न्यायालय में पेश हो। (पीयूष चौधरी) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2, बाड़मेर	देकरे मजारी 20/10/25